उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

प्रपत्र VI
समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

चुकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–किमनिया, थाना–बरकट्ठा, थाना–सं0–72, अंचल–बरकट्ठा, जिला–हजारीबाग में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा बरकट्ठा से तेतरान पथ के कि0मी0 00.00 से कि0मी0 32.10 तक चौडीकरण/मजबूतीकरण हेतु भू अर्जन अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार–संक्षेप यथा निम्न हैः–

परियोजना लोक हित में होने के कारण अतिमहत्वपूर्ण है अर्जनाधीन भूमि निम्नतम् है आवागमण की सुगम्यता तथा अनुयोजकता बढेंगी, बेहतर स्वास्थ्य षिक्षा, बाजार में विपणन की संभावना, आधार भूत संरचना एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ होगा। भू–अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों की सं0 शुन्य है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रषासक के रुप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–किमनिया, थाना–बरकट्ठा, थाना–सं0–72, अंचल–बरकट्ठा, जिला–हजारीबाग में उपर्युक्त कथित परियोजना के कमोवेष **0.158** एकड़ यानि **0.06396** हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित अर्जनाधीन है जो निम्नवत हैः–

क0 सं0	खाता संख्या	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15	511	निजी	टांड–III	0.043	जगेश्वर सिंह वगै0 पिता प्रसादी सिंह ग्राम–किमनिया	नीज	सडक	झारखण्ड सरकार	झारखण्ड सरकार
2	28	1158	निजी	टांड–III	0.115	जीवलाल प्रसाद पिता लालो महतो वो गौरी शंकर प्रसाद, पिता स्व0 नारायण महतो वो लखन सिंह पिता स्व0 गांगु सिंह वो दूलारचन्द प्रसाद वगै0 पिता बबुनी महतो ग्राम–किमनिया	नीज	सडक	सीवाना कपका	झारखण्ड सरकार
कुल					**0.158**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा–11 (1) के उपबंधो के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतू अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से प्रारभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगे या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाषन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त,
हजारीबाग।